उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

संख्याः पीआरपीबी–एक–2(प्रोग्रामर ग्रेड–2/कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए)–2023 दिनांकः दिसम्बर, 29 ,2023

यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनायें बोर्ड की वेबसाइट **https://uppbpb.gov.in** पर उपलब्ध रहेंगी। कृपया समय सारिणी देखें।

उ0प्र0 पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के पदों पर सीधी भर्ती–2023

1. **1.1** उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरूष एवं महिलाओं के लिए कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के पदों पर, **पे बैण्ड–5200–20200 ग्रेड पे–2400 नये वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रू0 25500–81100/–**के अन्तर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए **ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–**

कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए

क0सं0	श्रेणी	पदों की संख्या
1	अनारक्षित	381
2	ई0डब्ल्यू0एस0	91
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	249
4	अनुसूचित जाति	193
5	अनुसूचित जनजाति	16
	योग	**930**

1.2 कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के पद पर भर्ती हेतु पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे।

1.3 परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

2. 2.1 आवेदन की समय सारिणी–

क्र0सं0	विवरण	तिथि
1	आनलाइन आवेदन/शुल्क जमा प्रारम्भ होने की तिथि	07.01.2024
2	आनलाइन आवेदन/शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	28.01.2024
3	शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	30.01.2024

2.2 आवेदन शुल्क

इस भर्ती प्रकिया के लिए आवेदन शुल्क रू0–400.00/– (रूपये चार सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।

3 अर्हतायें:–

3.1–राष्ट्रीयता

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यॉमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो।

3.2–शैक्षिक अर्हता:–

मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

एवं

भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एक्रीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में "ओ" लेबिल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्षता निर्धारण शासनादेश, दिनांक 05 मई 2022 (परिशिष्ट-1) के अनुसार किया जायेगा।

या

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कम्प्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रोद्योगिकी या इलेक्ट्रानिक्स अभियन्त्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

टिप्पणीः–

(1) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण–पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (Appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (Appearing) अभ्यर्थी पात्र नही होंगे।

(2) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

3.3 अधिमानी अर्हतायें:–

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान (Preference) दिया जायेगा, जिसनेः–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो।

3.4 आयुः–

भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः–

(1) अभ्यर्थी ने दिनांक 01–07–2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01–07–1995 से पूर्व तथा 01–07–2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।

परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।

3.5 चरित्र

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपना समाधान किया जायेगा।

टिप्पणी–

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष–सिद्ध व्यक्ति भी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगे।

3.6–वैवाहिक प्रास्थिति–

नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

टिप्पणीः–

यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह (bigamy) अथवा बहुविवाह (polygamy) करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। भर्ती प्रकिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित (debar) किया जा सकता है।

3.7–शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे।

4–भर्ती की प्रक्रिया–

यह चयन **"उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2011" यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा प्रथम (संशोधन) नियमावली 2015** के अधीन किया जायेगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

4.1 लिखित परीक्षा (200 अंक)

बोर्ड अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। लिखित परीक्षा निम्नवत होगी –

A- लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन होगी। परीक्षा दो घन्टों की होगी। कुल 160 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा –**(1) सामान्य ज्ञान, (2) मानसिक अभिरूचि (3) तर्क शक्ति एवं (4) कम्प्यूटर विज्ञान** से संबंधित होगी। प्रश्न–पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (परिशिष्ट–2) में संलग्न है।

ऑन लाइन लिखित परीक्षा अभ्यार्थियों की संख्या के के अनुसार एक ही तिथि को एक ही पाली में करायी जायेगी । किसी अपरिहार्य कारणवश एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में भी करायी जा सकती है। एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में परीक्षा कराये जाने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंको का प्रसामान्यीकरण बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या :पीआरपीबी–एक–1–(155)/2023 दिनांक 18.12.2023 के अनुसार किया जायेगा।

परीक्षा के उपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी जिसपर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां आन लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद

में रिट याचिका सं0 2669 (एमबी)/2009 पवन कुंमार अग्रहरि बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जायेगाः–

सूत्र– अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर दिये गए प्रश्नों की संख्या X कुल निर्धारित अंक

प्रश्न पत्र में सही पश्नों की संख्या

परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(B)- लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत (प्रसामान्यीकृत/Normalised) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा | परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा अर्हकारी होगी | कम्प्यूटर टंकण की गति हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी आवश्यक है | पूर्वोक्त गति के साथ 85 प्रतिशत की शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा | हिन्दी टंकण **unicode inscript** की-बोर्ड पर आधारित होगा |

4.2 अभिलेखों की संवीक्षा

टंकण परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जायेगा।

लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी(लम्बवत्/क्षैतिज) के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संवीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रेषित की जायेगी व अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

संवीक्षा के दौरान आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना तथा सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण–पत्र अभिनिर्धारित योग्यता/मानक/नियमावली/शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे तो उन्हे स्वीकार नहीं किया जायेगा और तद्नुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा व आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही भी की जायेगी।

4.3 चयन तथा अन्तिम योग्यता सूचीः–

(अ) संवीक्षा के बाद सफल पाये गये अभ्यर्थियो में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त (प्रसामान्यीकृत/Normalised) अंको के कम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रकिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा ।

(ब) बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

(स) (i) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होनें पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, रखता हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(ii) इसके बाद भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा ।

(iii) यदि उपर्युक्त विचारों के बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक एक समान हों, तो अभ्यर्थी की अधिमानता का निर्धारण हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।

5–आरक्षण व आयु सीमा में छूट

5.1- लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 (समय–समय पर यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

5.2- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 2020 दिनांक 31–08–2020 के अनुसार किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अन्तर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतो (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रूपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S.) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1577–79–वि–1–20–1(क)4–20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण (E.W.S.) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा E.W.S. श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने के वित्तीय वर्ष (अर्थात वित्तीय वर्ष 2023–24) हेतु मान्य E.W.S. प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

5.3- महिलाओं के लिए आरक्षण उ0प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 18/1/99/का–2/99 दिनांक-26–02–1999 एवं शासनादेश संख्याः 18/1/99/का–2/2006 दिनांक 09–01–2007 यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग के शा0सं0–39–रिट/का–2/2019 दिनांक 26–06–2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16–01–2019 के विरूद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वालें अंतिम निर्णय के अधीन होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती

के प्रकम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों को विचार में लिया जायेगा।

5.4- अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:–

5.5- **लम्बवत् (Vertical) आरक्षण**

क0 सं0	श्रेणी	प्रतिशत	सुसंगत अधिनियम/ शासनादेश	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण–पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–1	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–1	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप–2	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	शासनादेश सं0 3/192019/4/1/2002/का–2–19टी0सी0–11,14.03.2019	–	EWSप्रमाण पत्र प्रारूप–3,3A	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

5.6- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण

क0 सं0	समूह	प्रतिशत	सुसंगत अधिनियम / शासनादेश	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण–पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिब्वयांग तथा भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षण अधिनियम 1993	–	**DFF** का प्रमाण पत्र प्रारूप-4	जिलाधिकारी
2	भूतपूर्व सैनिक	05	उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षण अधिनियम 1993	3 वर्ष*	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	सक्षम सैन्य अधिकारी/यूनिट प्रभारी
3	महिला	20	शासनादेश सं0 18(1)/95–का–2/99 दिनांकित 26–02–99, शा0सं0-18/1/99का–2/2006 दिनांक 09–01–2007 यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग के शा0 सं0–39–रिट/का–2/2019 दिनांक 26–06–2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों, चाहें वे भारत वर्ष के किसी भी राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश से सम्बन्धित हो, को विचार में लिया जायेगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16–01–2019 के विरूद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।	–	–	–

नोट–उत्तर प्रदेश शासन की क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) की नीति समग्र (Overall) क्षैतिज आरक्षण की है|

* भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.7- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तरप्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या: 2-ई:एम:/2001(1)-का-4-2013 दिनांक 27 अगस्त 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में

05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप-5 के अनुरूप निर्गत होना चाहिए।

5.8- शासन के पत्र संख्या-17 / 6-पु0-10-2016-27(3)/2016 दिनांक 18 जनवरी 2016 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमन्यता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है और उत्तर प्रदेश का राजकीय सेवक भी है तो आयु सीमा में उसे अधिकतम छूट 5 वर्ष ही अनुमन्य होगी।

5.9–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितः–

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और–

(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या

(दो) जिसने कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा हो, या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरूद्ध हुआ हो, या

(चार) जिसमें कम से कम दस बेंतो का दण्ड भोगा हो, या

(पॉच) जो गोली से घायल हुआ हो, या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो, या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो, या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या

(नौ) जो इन्डिया इण्डिपेण्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या

(दस) जिसे गांधी–इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

5.10– भूतपूर्व सैनिकः–

''भूतपूर्व सैनिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना,नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो–

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:–

(1) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,
(2) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और
(3) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

टिप्पणी:–

(1) आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो ।

(2) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरूष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा।

(3) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरूष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(4) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा ।

(5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 (समय–समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची–दो के अनुसार **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं **अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र (प्रारूप–2) 01 अप्रैल, 2023 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए।**

(6) उत्तर–प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप–1, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप–2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप–3,**3A** उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र का प्रारूप–4, तथा आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप–5 **परिशिष्ट–3** पर है।

आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।

(7) महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्षैतिज आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(8) भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।

(9) लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण–पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण–पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

(10) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रकिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

(11) यदि लम्बवत् (Vertical) आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा–आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।

(12) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।

(13) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

6–ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया

(1)–अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट **https://uppbpb.gov.in** पर जाकर All Notification/Advertisement को क्लिक करना होगा तत्पश्चात **उ0प्र0 पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए के पदों पर सीधी भर्ती–2023** के लिए Candidate's Registration पर क्लिक कर आगे की प्रकियाओं को पूर्ण करना होगा।

(2)–**सभी अभ्यर्थी** आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें।

(3)–इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन– डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से करना होगा।

(4) **हेल्पलाइन-** आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी भी समस्या के निराकरण हेतु **हेल्पलाइन नंबर 044-47749010** जारी किया जा रहा है, जो आवेदन करने की **अन्तिम तिथि 30-01-2024 तक** क्रियाशील रहेगा|

ऑनलाइन शुल्क का भुगतान–

(i)–आवेदन पत्र में भरे गये विवरण सही हैं, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार स्क्रीन पर मांगी जा रही जानकारी देते हुए डेटा सबमिट करें और डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग/यूपीआई का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें। ऑनलाइन व्यय, अगर कोई है, तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

(ii)–ऑनलाइन शुल्क के सफलता पूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिन्ट करते ही Submit हो जायेगा। यदि अभ्यर्थी अन्तिम रूप से Submit नहीं करता है तो अन्तिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः Submit हो जायेगा।

टिप्पणी–

शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में ही उसका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

(i)– अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन की अन्तिम तिथि के पूर्व अपना विवरण केवल एक बार संशोधित कर सकता है परन्तु वह अपने मोबाइल नम्बर, ई–मेल तथा आधार नम्बर में कोई संशोधन नहीं कर सकता।

(ii)–आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद उसमें किसी परिवर्तन/संशोधन हेतु कोई अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी इस प्रयोजन हेतु बोर्ड से कोई पत्राचार न करें।

शैक्षिक एवं आरक्षण से संबन्धित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डीजी लॉकर (DigiLocker) के माध्यम से अपलोड करना

अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक, आरक्षण संबंधी, आयु मे छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण–पत्र जो कि डीजी लॉकर (DigiLocker) पर उपलब्ध हो, उन्हें डीजी लॉकर (DigiLocker) के माध्यम से ही अपलोड करें द्य जो प्रमाण पत्र डीजी लॉकर(DigiLocker) पर उपलब्ध न हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें ।

फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर

आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग–अलग अपलोड करना होगा।

अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार (न्यूनतम 20 के0बी0 तथा अधिकतम 50 के0बी0) व हस्ताक्षर (न्यूनतम 05 के0बी0 तथा अधिकतम 20 के0बी0) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखे कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फोटो का आकार 35 मि0मी0 (1.4 इंच) × 45 मि0मी0 (1.75 इंच) का होना चाहिए. जिसमें फोटो का लगभग 70 प्रतिशत भाग चेहरे से अच्छादित हो । सेवारत अभ्यर्थी की फोटो मे कोई वर्दी धारित नही होनी चाहिए । अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:–

1–चेहने की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नही होनी चाहिए

2–नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।

3–सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठ भूमि आवश्यक है।

4–ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो।

5–तटस्थ अभिव्यक्ति (मुह बन्द आंखे खुली)

6–चेहरे के दोनो के किनारे (दोनो कान) साफ दिखते हो।

7–कैमरे पर सीधी नजर हो।

8–चश्मा पहनने की सिथित मे ऑखे साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नही होना चाहिए।

9–फोटो मे टोपी.मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार अभ्यर्थी 3.5 से0मी0 चौडा व 1.5 से0मी0 लम्बे कागज के टुकणे पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर **JPEG,JPG,JPE** के प्रारूप मे स्कैन करेगे जिसका आकार 5 के0बी0 से अधिक व 20 के0बी0 से कम होना चाहिए।

उपर्युक्त विर्निदेश (**Specifications**)युक्त फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार मे स्कैन करके अपलोड नही किया जाता है तो आवेदन पत्र को स्वीकार नही किया जायेगा।

7– आवेदन प्रकिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:–

(1) ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे। द्वितीय चरण में ऑनलाईन शुल्क का भुगतान करेगें। तीसरे चरण मे

शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाईट पर जाकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेगे।

(2) अभ्यर्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाये। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा ।

(3) अभ्यर्थी, आवेदन–पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन–पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन–पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

(4) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं तो उन्हें नियुक्ति प्रकिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत नो आब्जेकशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) किसी सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र पर चस्पा किये जा रहे फोटो अथवा लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रकिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए अन्यथा उसे चयन प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8- भर्ती से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश-

(1) विज्ञापित पदों पर की जा रही इस भर्ती में उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों/शासनादेशों में निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुरूप आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(2) **किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार बोर्ड को होगा।**

(3) **यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरा नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/ सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुति भी कर दी गयी हो तो बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जायेगी।**

(4) बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(5) **कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।**

(6) **छद्म प्रतिरूपण (Impersonation) करने या उसमे सहयोग देने वाले (अभ्यर्थी एवं उसके सहायक) के विरूद्ध अभ्यर्थन निरस्त करने भविष्य मे होने वाली परीक्षाओ से प्रतिवारित (Debar) करने की कार्यवाही तथा वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी।**

(7) बोर्ड किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट को देखते रहें।

(8) बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तो के अनुरूप अर्ह है।

(9) इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

(10) यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय–समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 व अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अधिनियमों/शासनादेशों के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभाष आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

9–बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

29/10/23

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

<u>परिशिष्ट–1</u>

<u>संख्या-08/2022/2/47-का-2-2022/02एलसी/2022</u>

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

<u>कार्मिक अनुभाग-2</u> लखनऊः दिनांकः 05 मई, 2022

विषय:-कम्प्यूटर कोर्स "ओ" लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-47-2099/299/2020, दिनांक 18-01-2022 द्वारा 'ओ' लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, उ0प्र0 शासन एवं श्री श्रीहरि प्रताप शाही, विशेष सचिव,कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा 'ओ' लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश/सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा 'ओ' लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो निम्नवत है:-

(1)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से कम से कम 01 वर्ष की अवधि का 'O' Level पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

(2)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसीबोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से 10+2 के उपरान्त कम्प्यूटर में कम से कम 01 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो:-

1	DOAP	Diploma In Office Automation & Publishing
2	DOMA	Diploma In Office Management Application
3	ADC	Advance Diploma In Computer
4	ADCA	Advance Diploma In Computer Applications

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	ADCH	Advance Diploma In Computer Hardware
6	ADCP	Advance Diploma In Computer Programming
7	DCA	Diploma In Computer Applications
8	DCFA	Diploma In Computerised Financial Accounting
9	DCS	Diploma In Computer Skills
10	DCTT	Diploma In Computer Teacher Traing
11	DIP	Diploma In Programming
12	DISA	Diploma In Information System Audit
13	DISM	Diploma In Software Management
14	DIT	Diploma In Information Technology
15	DST	Diploma In Software Technology
16	DTP	Diploma In Desktop- Publishing (DTP)
17	MDCA	Master Diploma In Computer Application
18	MDCISM	Master Diploma In Computer Information & System Management
19	MDIT	Master Diploma In Information Technology
20	MOMSP	Diploma In Modern Office Management and Secretarial Practice
21	CI&SN	Continuous Integration & System Networking Course
22	ADCST	Advance Diploma In Computer Software Technology
23	ADHN	Advance Diploma In Hardware & Networking
24	ADI	Advance Diploma In Information Technology
25	ADP	Automated Data Processing Course
26	ADSE	Advance Diploma In Software Engineering
27	AITT	All India Trade Tests
28	PGDCWD	Post Graduate Diploma In Computer Web Designing

(3)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरान्त की जाने वाली कम से कम 01 वर्ष की अवधि का PGDCA/DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)- UPDESCO से उत्तीर्ण 01 वर्ष का DIT (डिप्लोमा इन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

(5)- स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम एक वर्ष कम्प्यूटर सांइस/कम्प्यूटर अप्लीकेशन रहा हो।

(6)- B.Sc. IT, MCA /B.Tech./ ए लेवल/बी लेवल/ सी लेवल के कम्प्यूटर कोर्स, BCA, M.Sc. cyber law and security, B.Sc. में कम्प्यूटर साइंस/कम्पयूटर एप्लीकेशन एक विषय के रुप मे कम से कम किसी एक वर्ष में ।

(7)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से हाईस्कूल के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष की अवधि का कम्प्यूटर में Diploma पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

(8)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/ विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त राष्टीय कम्प्यूटर साक्षरता मिशन से कम्प्यूटर में कम से कम 01 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

(9)- ITI से 52 सप्ताह का computer operator and programming assistance COPA कोर्स उत्तीर्ण हो।

(10)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से तीन वर्षीय Diploma in computer engineering /information technology/electronics engineering उत्तीर्ण हो।

2- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्प्यूटर कोर्स "ओ" लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किये जाने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-08/2022(1)/2/47-का-2-2022/02एलसी/2022,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय कुमार संखवार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

1–सामान्य ज्ञान (General Knowledge)–

सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उ0प्र0 की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, उ0प्र0 में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर काइम, वस्तु एवं सेवाकर, पुरस्कार और सम्मान, देश/राजधानीं/मुद्रायें, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन।

2 मानसिक अभिरूचि (Mental Aptitude)-Logical Diagrams–तार्किक आरेख, Symbol-Relationship Interpretation-संकेत–सम्बन्ध विश्लेषण,Perception Test–प्रत्यक्ष ज्ञान बोध,Word formation Test–शब्द रचना परीक्षण,Letter and number series–अक्षर और संख्या श्रृंखला,Word and alphabet Analogy-शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता,Common Sense Test-व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण,Direction sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण,Logical interpretation of data-आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण,Forcefulness of argument-प्रभावी तर्क,Determining implied meanings-अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना।

3– तर्कशक्ति (Reasoning)- Analogies-समरूपता, Similarities-समानता, Differences-भिन्नता, Space visualization-खाली स्थान भरना, Problem solving-समस्या को सुलझाना, Analysis judgement-विश्लेषण निर्णय, Decision-making-निर्णायक क्षमता, Visual memory-दृश्य स्मृति, Discrimination-विभेदन क्षमता, Observation- पर्यवेक्षण, Relationship-सम्बन्ध, Concepts-अवधारणा, Arithmetical reasoning-अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification-शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series- अंकगणितीय संख्या श्रृंखला. Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता।

4. Computer Science-

Introduction: History,Evolution and Generation of Computers, Organisation of Computer system, Hardware, Software, Peripheral Devices, Algorithm, Flowchart and Number system.

Database Management System:
Data organisation, File Management System, Database Concepts, Relational Data Model and Basic Concept of Database, Popular Database Management System- Fox pro and Oracle with SQL etc.

PC Software and Office Automation:
Office System and Procedure, the need for office automation, Electronic Capture, Storage, Graphics and Graphic User Interface, Electronic Data Interchange.

Workplace productivity Tools:
Word Processing Tools, Electronic spreadsheets, Electronic presentation tools. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), Open Office, Using these tools in English and official Indian (Windows, Unix and Unicode Fonts), Exchange of Files across these platforms.

Computer Networks:
Types of networks, Network topology, Risk assessment and security measures and security issues, LAN, MAN, WAN.

The Internet:
Working with internet, uses of internet, Search Engines, e-mail, e-commerce, e- banking and e-learning.

Emerging Technologies and Web Publishing:
Application Software, Computer controlled devices, Artificial Intelligence, Mobile Computing, Green Computing, Operating System- Windows, Unix/Linux, HTML, JavaScript, Banking and e-commerce application

Boolean algebra:
Boolean operators, Truth Tables, Closure property, Laws of Boolean Algebra, SOP, POS, Karnaugh map, Application of Boolean logic.

Data Structures:
One and two dimensional arrays, Stack and queue.

प्रारूप–1
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................. सुपुत्र/सुपुत्री/श्री..निवासी ग्राम....................तहसील.................नगर..........................जिला.................................उत्तर प्रदेश राज्य की...............................जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....................................तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के........................ग्राम............................तहसील.................नगर...........................जिला..........................में सामान्यतया रहता है।

स्थान.................................	हस्ताक्षर..............................
दिनांक..............................	पूरा नाम.............................
	पदनाम ....
	मुहर..................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी

परिशिष्ट–3

प्रारूप–2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................ सुपुत्र/सुपुत्री/श्री..निवासी ग्राम...................तहसील............ ....नगर.........................जिला...............................उत्तर प्रदेश राज्य की..................... ....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।श्री/श्रीमती/कुमारी.....................................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम...........................तहसील...........................नगर............................जिला...... ....में सामान्यतः रहता है ।

स्थान................................
दिनांक..............................

हस्ताक्षर.............................
पूरा नाम.............................
पदनाम...............................
मुहर................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट–3

प्रारूप-3

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्रस्वयं घोषणा पत्र

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी
....ग्राम/कस्बा ....पोस्ट ऑफिस...थाना...ब्लाक........ ....तहसील...जिला...................... ....राज्य ....ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं...जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू0 .... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोडने के पश्चात भी मैं (नाम) ....आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती है।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोडने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

I. 05(पॉच) एकड कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फलैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

V. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान :-.................................

दिनांक :-...............................

प्रारूप-3A

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी,सी,-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण- पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या- .... दिनांक-......................................

वित्तीय वर्ष..........................के लिये मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी ....ग्राम/कस्बा ....पोस्ट ऑफिस..थाना...तहसील..... ....जिला...राज्य....................... ....पिन कोड......................... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष................. में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 05(पॉच) एकड कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फलैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिका का आवासीय भूखण्ड

V. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ....जाति..................................के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साईज. का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर................

कार्यालय का मुहर सहित

पूरा नाम....................

पदनाम.......................

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

परिशिष्ट–3

प्रारूप–4

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या–4/3/1982–कार्मिक–2,1997 दिनांक 26 दिसम्बर, 2015

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. निवासी...............................ग्राम...........................तहसील.....................नगर........................ जिला.......................उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)............ ....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..................................के आश्रित हैं।

स्थान..

दिनांक.......................................

हस्ताक्षर.....................................

पूरा नाम....................................

पद नाम.....................................

मुहर...

जिलाधिकारी

प्रारूप-5

राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाये जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.............................राज्य सरकार के कर्मचारी है जो वेतनमान..................................में........................ के पद पर...विभाग/ कार्यालय में दिनांक.......................से नियमित आधार पर सेवारत हैं।

स्थान.......................................
दिनांक......................................

हस्ताक्षर...............................
(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)
नाम....................................
पद नाम.....................................
मुहर.............................